I - 10168 (5)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR P

U 489381

20 JUN 2012

ARUN SHARMA
M. Com. LL.B.
Advocate
Ph.: 9837308823
Registry Compound, Kutchery, Meerut (U.P.)

ओ३म लीज डीड/पटटा विलेख अवधि 30 वर्ष

स्टाम्प अंकन 2500/-(दो हजार पांच सौ)

हम कि **विद्या बाल मण्डली,** 247, विद्या नॉलिज पार्क, बागपत रोड़, मेरठ (ए सोसायटी रजिस्टर्ड अण्डर सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860) द्वारा सचिव **श्री प्रदीप कुमार जैन** पुत्र स्व0 श्री सुखवीर सिंह जैन निवासी 6-ए, जैन नगर मेरठ ---प्रथमपक्ष (सम्पत्तिस्वामी/पटटादाता)।।

पक्ष में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR

U 489382

ARUN SHARMA
M. Com. LL.B.
Advocate
Ph.: 9837308823
Compound, Kutchery Meerut (U.P.)

विद्या इंस्टीटयूट आफ क्रिएटिव टीचिंग, विद्या नॉलिज पार्क, बागपत रोड, मेरठ द्वारा श्री सौरभ जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जैन निवासी 6–ए, जैन नगर, मेरठ शहर, एक्जयुकेटिव ऑफीसर उक्त कॉलिज –द्वितीयपक्ष (लीजगृहिता)।

जो कि एक अहाता मय आराजी तहती रकबई 10000 वर्गमीटर मारूफ खसरा नम्बर 247 स्थित ग्राम पाँचलीखुर्द परगना व तहसील व जिला मेरठ तथा उक्त खसरा नम्बर उप जिलाधिकारी मेरठ वाद संख्या 26/124 अन्तर्गत धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0 आर0 एक्ट द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिंनाक 02.03.2009 ई0 द्वारा अकृषक घोषित की जा चुकी है

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 577339

उक्त अहाते की भूमि सहित अन्य भूमि प्रथमपक्ष क्रयकर तत्पश्चात् उस पर अपनी लागत से निर्माणकर व्यक्तिगत स्वामी व किसी भी व्यक्ति/संस्था/कॉलिज आदि को लीज पर देने की अधिकारी है और प्रथमपक्ष सोसायटी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके उक्त सम्पत्ति को किराये पर देने के लिए श्री प्रदीप कुमार जैन सचिव उक्त सोसायटी को अधिकृत किया है और प्रथमपक्ष की ओर से उक्त सम्पत्ति आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त एवं रहित है तथा द्वितीय पक्ष ने उक्त सम्पत्ति को उक्त कॉलिज के लिए शिक्षण कार्य हेतु

तीस वर्ष के लिए लीज पर लेने की ख्वाईश प्रथम पक्ष से की है तथा प्रथम पक्ष ने निम्न शर्तो के आधीन उक्त सम्पत्ति को तीस साल के लिए द्वितीय पक्ष को लीज पर देना निश्चित किया हैं। अतः दोनों पक्ष व उनके उत्तराधिकारी निम्न धाराओ के पाबन्द रहेंगें।

1- यह कि लीज दिनॉक **01-04-2012** ई0 से प्रारम्भ हो गयी है, तथा लीज का प्रत्येक वर्ष, वर्ष की 1 अप्रैल से शुरू होकर अलगे वर्ष मार्च माह की अन्तिम तारीख को पूरा हुआ करेगा तथा लीज साल दर साल तीस साल तक चलती रहेगी।

2- यह कि उक्त सम्पत्ति का किराया दोनो पक्षों में अंकन **10,000/-** रूपये प्रतिवर्ष तय पाया है, जिसे द्वितीय पक्ष प्रति वर्ष प्रथम पक्ष को देने के पाबन्द व जिम्मेदार रहेगें, तथा उक्त लीज की अवधि **01-04-2012** से तीस वर्ष तक रहेगी, तथा प्रत्येक साल अप्रेल माह के अन्तिम सप्ताह तक द्वितीय पक्ष हर हालत में लीज रेन्ट अदा कर दिया करेंगें।

3- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति पर बजरिये पटटेदार (लीजग्रहिता) अपना कब्जा दिनॉक **01-04-2010** करे की लिया है, तथा द्वितीय पक्ष को उक्त सम्पत्ति पर अपनी आवश्यकतानुसार निमार्ण करने व अपनी आवश्यकतानुसार व इच्छानुसार उक्त सम्पत्ति को इस्तेमाल करने व संस्था के लिये कार्य करने व शिक्षण कार्य करने, उसमें कोई भी कोर्स कराने, या अन्य शिक्षण कार्य करने, सम्पत्ति में स्कूल, कॉलिज चलाने आदि के समस्त अधिकार प्राप्त रहेगें तथा द्वितीय पक्ष ने उक्त

अहाते मे **कॉलिज/स्कूल** को चलाने हेतु उक्त सम्पत्ति को किराये पर लिया हैं।

4- यह कि लीज **01-04-2012** से तीस वर्ष तक रहेगी, तथा उक्त अवधि में कोई लीज रेन्ट नही बढाया जायेगा।

5- यह कि उक्त सम्पत्ति पर बिजली व पानी आदि अन्य देय जो द्वितीय पक्ष की लीज के कारण व द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त सम्पत्ति को प्रयोग करने के कारण होगें उन्हें द्वितीय पक्ष ही अदा किया करेगें, तथा द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह शिक्षण कार्य व स्कूल व कॉलिज आदि के सम्बन्ध में कोई भी नव निमार्ण कराये, कनेक्शन नल व बिजली का ले, व टैक्स अदा करें, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

6- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति को अपने प्रयोग में शिक्षण कार्य के लिए ही लायेंगे अन्य कोई कार्य नही करेंगे तथा किसी अन्य को शिकमी किरायेदार नहीं रखेगें।

7- यह कि लीज की अवधि पूरी होने पर द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति पर अपने द्वारा किये गये निमार्ण को उठा लेगे जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी, तथा तीस साल अवधि पूरी होने पर किरायानामा स्वत: ही समाप्त हो जायेगा।

8- यह कि लीज अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष को जब तक बैक या वित्तीय संस्था का ऋण अदा नही हो जायेगा जीज सामप्त करने का अधिकार नही होगा, अर्थात लीज अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष किसी भी सूरत में लीज समाप्त नही करेंगे।

9- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति में शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्य हेतु जैसे कि कॉलिज चलाने की स्वीकृति सम्बन्धि समस्त विभाग से लेने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभायेगे तथा हर प्रकार की कार्यवाही

कराने का अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त रहेगा जिसमे प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

10– यह कि उपरोक्त धाराओं का दोनो पक्ष पूर्ण रूप से पालन करेगें। अतः यह किरायानामा अवधि 30 तीस वर्ष लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो। इति।।

सीमाये उक्त सम्पत्ति

पूरबः–	सम्पत्ति सोसायटी प्रथम पक्ष।।
पश्चिमः–	सम्पत्ति प्रथम पक्ष सोसायटी।।
उत्तरः–	सम्पत्ति प्रथम पक्ष सोसायटी।।
दक्षिणः–	रास्ता आम बागपत रोड।।

गवाह

गवाह नीरज कुमार
S/O किशनचन्द्र
नि० भोल चुंगी मेरठ

लिखित दिनॉक 20.06.2012 मसविद व फोटो सत्यापन श्री अरूण शर्मा एडवोकेट मेरठ।

ARUN SHARMA
M. Com. LL.B.
Advocate
Ph. : 9837308823
Registry Compound, Kutchery, Meerut (U.P.)

145

स्टाम्प का मूल्य अंकन 1000 (शब्दों में)

क्रेता का नाम विष्णु इन्स्टिट्यूट आफ [illegible] टीचिंग विद्या नगर पार्क बागपत रोड मेरठ द्वारा [illegible] जैन

पता

लेखपत्र का प्रकार एवं मूल्य

एवं स्टाम्प से ली का प्रयोजन

स्टाम्प विक्रेता का नाम [illegible]

लाईसेंस संख्या/वर्ष MT-117/06-07

विक्रय स्थान का नाम [illegible]

विक्रेता का हस्ताक्षर

20/6/12

SHARMA

145 — 144

1000

ST-117/06-07

20/6/12

146 — 154

5000

स्टाम्प विक्रेता का नाम

लाईसेंस संख्या/वर्ष [illegible] ST-117/86-87

विक्रय स्थान का नाम

20/6/12

पट्टा विलेख (30 वर्ष)

प्रतिफल	मालियत	ओसत वार्षिक किराया	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
		9,996.00	300.00	20	320.00	1,000

श्री विधा बाल मण्डली द्वारा प्रदीप जैन

पुत्र श्री सुखवीर सिह जैन

व्यवसाय

निवासी स्थायी 6 ए जैन नगर मेरठ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/6/2012 समय 2:32PM

वजे निवन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0 पी0 मिश्र
उपनिबन्धक तृतीय
मेरठ
20/6/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता

श्री विधा बाल मण्डली द्वारा प्रदीप जैन
पुत्र श्री सुखवीर सिह जैन
पेशा
निवासी 6 ए जैन नगर मेरठ

पट्टा गृहीता

श्री विधा इस्टीटयूट आफ क्रिएटिव टीचिग द्वारा सौरभ जैन
पुत्र श्री सुरेन्द्र जैन
पेशा
निवासी 6 ए जैन नगर मैरठ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री **नीरज कुमार**

पुत्र श्री **शिव नरेश**

पेशा

निवासी **जैलचुगी मेरठ**

व श्री **ए के शर्मा मेरठ**

पुत्र श्री

पेशा

निवासी

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0 पी0 मिश्र
उपनिबन्धक तृतीय
मेरठ
20/6/2012

पट्टा दाता

Registration No.: 10168 Year : 2,012 Book No. : 1

0101 विधा बाल मण्डली द्वारा प्रदीप जैन

सुखवीर सिह जैन

6 ए जैन नगर मेरठ

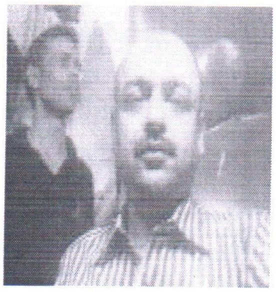

पट्टा गृहीता

Registration No. : 10168 Year : 2,012 Book No. : 1

0201 विधा इस्टीटयूट आफ क्रिएटिव टीचिग द्वारा सौरभ जैन
सुरेन्द्र जैन
6 ए जैन नगर मैरठ

आज दिनांक **20/06/2012** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **7929**

पृष्ठ सं. **91** से **102** पर कमांक **10168**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0 पी0 मिश्र

उपनिबन्धक तृतीय

मेरठ

20/6/2012